न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS NO 2022/35
दायरा तिथि : 07.02.2022
आदेश तिथि : 25-04-2022
प्रार्थी :–
श्री नारायणलाल पुत्र केरींग जाति भील
निवासी नेहरू होस्टल के पीछे
कच्ची बस्ती उदयपुर हाल कोठार तह. बाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 25-04-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 600 रकबा 0. 93 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से **राजकीय सिवाय चक** भूमि ग्राम **कोठार** तहसील बाली के खसरा नंबर 599/859 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में **लाल** रंग से दर्शित ट्रेक से 30 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/893 दिनांक 29.03.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बेडा कोठार के खसरा नंबर 600 रकबा 0.93 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि प्रार्थी श्री नारायणलाल पुत्र केरिंग जाति भील निवासी उदयपुर तहसील उदयपुर जिला उदयपुर के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	599/859	0.48 हैक्टर	बारानी दोयम	41X 6=246 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक

3. प्रस्तावित भूमि **ग्राम कोठार** की डी.एल.सी. दर 369990/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से न्यायालय आदेश की अनुपालना में रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री राकेशदवे ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इस आशय का एतराज किया गया कि आवेदक द्वारा 30 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई थी, लेकिन तहसीलदार, बाली द्वारा मात्र 6 मीटर यानि 19.98 फीट चौडा रास्ता ही प्रस्तावित किया है, जो रास्ता पर्याप्त नहीं है। वकील प्रार्थी द्वारा दलील दी गई कि तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधियो द्वारा प्रार्थी की आवश्यकता पर गौर नहीं किया है। अतः तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तावित रूट से ही 30 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **कोठार** तहसील बाली के खसरा नंबर 600 रकबा 0.93 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से आवेदक द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 599/859 रकबा 0.4800 हैक्टर मेंसे 30 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का अनुतोष चाहा है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये 6 मीटर यानि 19.98 फीट चौडा रास्ता ही प्रस्तावित किया है, इस सबंध में वकील प्रार्थी की दलील हैं कि उक्त रास्ता पर्याप्त नहीं है। अतः उन्हे मांग के अनुसार 30 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जावे।

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS NO 2022/35
अनवान नारायणलाल बनाम तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क के प्रावधानो का अवलोकन किया, जिसके अनुसार 251–क. अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर भूमिगत् पाइप लाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना (1) जहां–(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है–
और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है, तो एक अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि:–
(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हैं, और
(ii) अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है:–
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि मेंसे होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति स उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।
इस प्रकार विधिक प्रावधानो के अनुसार अधिकतम 30 फुट चौडा मार्ग उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है, तथा आवेदक द्वारा भी अपने आवेदन पत्र में 30 फुट चौडा मार्ग हेतु ही आवेदन किया है, परन्तु तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में 6 मीटर यानि 19.98 फीट चौडा रास्ता ही प्रस्तावित किया है, इस संबध में वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान् 25 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत होने तक भी अपनी सहमति प्रकट की है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् 25 फुट चौडे रास्ते तक की मांग न्यायोचित प्रतीत है। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित जांच **रिपोर्ट में वर्णित रूट से 7X41=287 वर्गमीटर रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है।**

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3 (2) Rev.6 / 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक: प.3 (52) राज–6/ 12 /4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 600 रकबा 0.93 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिये **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 599/859 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे कुल 287 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक/2022/893 दिनांक 29.03.2022 के संलग्न नक्शा मौका में वर्णित ट्रेक से 7 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 369990/– रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
599/859	0.48 हैक्टर	41X7=287वर्गमीटर	36.999	10619X2= 21238	राजकीय सिवाय चक

पेज लगातार......03

राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS NO 2022/35
अनवान नारायणलाल बनाम तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली देय कुल प्रतिकर राशि **21238/–रूपये अक्षरे ईक्कीस हजार दो सौ अडतीस रूपये मात्र** राजकोष में जमा की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली व सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांकः26.04.2022

क्रमॉक/कोर्ट/रास्ता/2022/1543-47
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रार्थी नारायणलाल पुत्र केरिंग जाति भील निवासी उदयपुर तहसील उदयपुर हाल कोठार तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner